कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0आ0/858(25)/06-10-2013/2013 दिनांक : 20 **सितम्बर, 2013**

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम0एन0बी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय,
नसीरपुर मठ, कोटवा,
नारायनपुर, बलिया।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा **अनुभाग–6**, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–सम्ब0 **339/सत्तर–6–2013–2(244)/2013 दिनांक 06 सितम्बर, 2013** द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37 (2) परन्तुक के अधीन दी गयी सम्बद्धता की पूर्वानुमति के आलोक में आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक **07.09.2013** के क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **एम0एन0बी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय, नसीरपुरमठ, कोटवा, नारायनपुर, बलिया** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **कला** संकाय में स्नातक स्तर पर **हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं भूगोल** विषयों में निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक **01.07.2013** से आगामी तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(i) महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शर्तो के अनुपालनार्थ शपथ पत्र प्रस्तुत कर एक माह के अन्दर सन्दर्भित विषय/पाठ्यकम में कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बधित विषय/पाठ्यकम की परीक्षा कराया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

(ii) प्रश्नगत विषय/पाठ्यकम में अनुमोदित शिक्षकों को प्रबंधतंत्र द्वारा नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराकर उन्हीं से शिक्षण कार्य कराया जायेगा।

(iii) महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख जो विश्वविद्यालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किये गये हैं उनमें भविष्य में अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

(iv) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तो को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय स्तर से शासन को संस्तुति की जायेगी।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) के द्वितीय परन्तुक की शर्तो का महाविद्यालय द्वारा पालन न किये जाने पर आगामी सत्र में उक्त विषय/पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में महाविद्यालय किसी भी प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं देगा अर्थात आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(vi) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37(6) , 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:–

37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

..2

प्राचार्य